

**HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT**

INDEX

Sr.No.	Date of Notification	Brief contents of notification	Page No.
1.	29 th December, 1989	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Rules, 1989 (English version)	2-29
2.	29 th December, 1989	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Rules, 1989 (Hindi version)	30-61
3.	8 th November, 2013	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Amendment Rules, 2013 (English version)	62-64
4.	8 th November, 2013	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Amendment Rules, 2013 (Hindi version)	65-67
5.	13 th December, 2013	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013 (English version)	68
6.	13 th December, 2013	Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013 (Hindi version)	69

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CO-OPERATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 1989

No. G.S.R. 2/Const/Art. 309/89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Cooperation Department Head Office and Sub-offices, (Group C) Service, namely:—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-offices (Group C) Service Rules, 1989.

Short title. ✓

2. In these rules, unless the context otherwise requires:—

Definitions.

- (a) "Additional Registrar (Administration)" means the Additional Registrar (Administration) Co-operative Societies, Haryana;
- (b) "Board" means the Subordinate Services Selection Board, Haryana;
- (c) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "Head Office" means the office of the Registrar, Co-operative Societies, Haryana;
- (f) "Institution" means—
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (g) "Recognised University" means—
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th day of August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

- (iii) any other university, which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;
- (h) "Registrar" means the Registrar, Co-operative Societies, Haryana;
- (i) "Service" means the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group C) Service;
- (j) "Sub-offices" means all the offices under the Registrar, Co-operative Societies, Haryana.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in the Appendix 'A' to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service unless he is,—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character, from the Principal academic officer of the University, college, school or institution last attended, if any.

and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the last day of submission of application to the Board. Age.

6. Appointments to the posts in the service shall be made,— Appointing authority,

(A) Head Office—

(i) in case of Deputy Superintendent, Personal Assistant, Leather Designer, Assistant, Senior Scale Stenographer, Driver, Junior Scale Stenographer, and Junior Librarian, by the Registrar;

(ii) in the case of Steno-Typist, Care-Taker, Clerks, Restorer, Gestetner Operator and Helper to Leather Designer by the Additional Registrar (Administration).

(B) Sub-Offices—

(i) in case of Head Clerk Grade I, Head Clerk Grade II and Accountant by the Registrar;

(ii) in the case of Driver, Steno-typist, Clerk and Leather Supervisor by the Additional Registrar (Administration).

7. No person shall be appointed to any post in the service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment. Qualification

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-servicemen and physically handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or Disqualifications.
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt, any person, from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(A) Head Office—

(a) in case of Deputy Superintendent—

- (i) by promotion from amongst the Assistants and Senior Scale Stenographers in Head Office, or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Personal Assistant—

- (i) by promotion from amongst Senior Scale Stenographers; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Leather Designer—

- (i) by promotion from amongst Helper to Leather Designer/Leather Supervisor; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of Assistant—

- (i) by promotion from amongst Care-Taker, Clerks, Junior Scale Stenographers and Steno-typists in Head Office; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in the case of Senior Scale Stenographer—

- (i) 67% by promotion from amongst Junior Scale Stenographers; and
- (ii) 33% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(f) in the case of Driver—

- (i) by promotion amongst Group Employees of Head Office possessing Driving Licence; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(g) in the case of Junior Scale Stenographer—

- (i) 67 % by promotion from amongst steno-typist; and
- (ii) 33% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(h) in case of Junior Librarian—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of any official already in the service of any State Government or the Government of India;

(i) in case of Steno-typist—

- (i) 33% by promotion from amongst clerks in Head Office; and
- (ii) 67% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(j) in the case of Care-Taker—

- (i) by promotion from amongst Clerks in Head Office; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(k) in case of Clerk—

- (i) 20% promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst Restorer, Gestetnor Operator Group C employees whose scales of a pay are lower than that of the clerk, and Group D employees; and

- (ii) 80% by direct recruitment; or

- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(l) in case of Restorer—

- (i) by promotion from amongst Gro up D employees in Head Office; or

- (ii) by direct recruitment; or

- (iii) by transfer on deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(m) In the case of Gestetnor Operator—

- (i) by promotion from amongst Group D employees in Head Office ; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(n) in the case of Helper to Leather Dseigner—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(B) Sub-Offices

(a) in the case of Head Clerk Grade-I—
(for the office of Deputy Registrar, Cooperative Societies).

- (i) by promotion from amongst the Head Clerks Grade II and Accountant; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in Service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Head Clerk Grade II/Accountant—

- (i) by promotion from amongst the clerks and Steno-typists; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Driver—

- (i) by promotion from amongst Group D employees;
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(d) in the case of Steno-typist—

- (i) 33 per cent by promotion from amongst clerks; and
- (ii) 67 pe rcent by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(e) in the case of Clerk—

- (i) 20 per cent by promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst Group C employees whose scales of pay are lower than that of the Clerk and Group D employees; and

- (ii) 80 per cent by direct recruitment; or
 - (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (f) in the case of Leather Supervisor—
- (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (2) When any vacancy occurs or is about to occur, the Registrar or the Additional Registrar (Administration) as the case may be, shall determine the method by which the same shall be filled in.
- (3) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and the seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed by otherwise:

Probation.

Provided that:—

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
 - (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
 - (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may.—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion been not satisfactory,—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. (1) Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service:

Provided that where there are different cadres in Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

✓ (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment and

if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability
to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under :—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ; or
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, members, of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave,
pension
and other
matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Discipline,
penalties
and
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall subject to provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix I to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccina-
tion.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

✓ Powers of
Relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special
Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reserva-
tions.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservation so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal
and
Savings.

The Punjab Cooperative Department Service (Ministerial) (State Service, Class III) Rules, 1966 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Serial number	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of pay
		Perma- nent	Tempo- rary		
1	2	3	4	5	6
	(A) HEAD OFFICE				Rs.
1	Deputy Superintendent	5	2	7	1640-6)-2600-EB-75-2900
2	Personal Assistant	—	1	1	1640-60-2600-EB-75-2900
3	Leather Designer	1	—	1	1600-50-2300-EB-60-2660
4	Assistant	29	8	37	1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600
5	Senior Scale Stenographer	4	1	5	1400-40-1500-50-2300-EB-60-2600
6	Driver	1	2	3	1200-30-1560-EB-40-2040+200 as special pay
7	Junior Scale Stenographer	2	2	4	1200-30-1560-EB-40-2040
8	Junior Librarian	—	1	1	1200-30-1560-EB-40-2040
9	Steno-typist	6	3	9	950-20-1150-EB-25-1500+100 as special pay

HARYANA GOVT GAZ, JAN. 9, 1990
(PARTS, 19, 1911 SAKA)

-103-

-401-

1	2	3	4	5	6
10	Care-Taker	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500+ 50 as special pay
11	Clerk	37	3	40	950—20—1150—EB—25—1500
12	Restorer	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
13	Gestetner Operator	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
14	Helper to Leather Designer	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
(B) SUB-OFFICES					
1	Head Clerk Grade I	3	2	5	1600—50—2300—EB—60—2660
2	Head Clerk Grade II	22	14	36	1400—40—1600—50—2300—EB— 60—2600
3	Accountant	17	6	23	1400—40—1600—50—2300—EB— 60—2600
4	Driver	12	—	12	1200—30—1560—EB—40—2040+ 100 as special pay
5	Steno-typist	26	20	46	950—20—1150—EB—25—1500+ Rs. 100 as special pay
6	Clerk	304	113	417	950—20—1150—EB—25—1500
7	Leather Supervisor	2	—	2	950—20—1150—EB—25—1500

APPENDIX B

[See rule 7]

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
	(A) Head Office		
1	Deputy Superintendent		(i) Eight years experience as Assistant ; or (ii) Eight years experience as Senior Scale Stenographer out of which two years experience as Assistant or sharing the work of Assistant (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard
2	Personal Assistant		(i) Three years experience as Senior Scale Stenographer (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard

HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 9, 1990
(PAUSA. 19, 1911 SAKA)

-501-

1 2

3

4

3 Leather Designer

- (i) Matric with Hindi, having diploma in footwear technology and advance course in footwear technology with five years experience in supervisory capacity, in a licenced factory manufacturing leather footwear/goods ; or
- (ii) Matric with Hindi, having diploma in footwear technology and seven years experience in supervisory capacity in a licenced factory, manufacturing leather footwear/goods ; or
- (iii) Matric with Hindi and certificate in footwear technology having ten years experience in a licenced factory manufacturing leather footwear/goods

- (i) Five years experience as Helper to Leather Designer of Leather Supervisor
- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard

4 Assistant

- (i) Three years experience as Caretaker/ Clerk/Junior Scale Stenographer/Stenotypist in Head Office ;
- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

5 Senior Scale Stenographer

- (i) Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division/Graduate or its equivalent (For Ex-servicemen, Matric only)

- (i) Three years experience as Junior Scale Stenographer;
- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard

90
HARYANA GOVT GAZ., JAN. 9, 1990
(PAUSA 19, 1911 SAKA)

-106-

1	2	3	4
6 Driver	<ul style="list-style-type: none"> (ii) English shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at the speed of 20 words per minute (iii) Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute (iv) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (i) Middle pass with Hindi (ii) Valid driving licence for Heavy Transport Vehicle/Light Transport Vehicle (iii) Should have experience of three years of driving of Light Transport Vehicle ; or five years driving of Heavy Transport Vehicle as the case may be (iv) Ten years experience of driving Heavy Transport Vehicle/Light Transport Vehicle in case of Ex-Serviceman 	<ul style="list-style-type: none"> (iii) English Shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at the speed of 20 words per minute (iv) Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute (i) Three years experience as Group D employe in Head Office (ii) Possesses driving licence (iii) Qualifies the departmental test 	

-107-

1	2	3	4
7	Junior Scale Stenographer	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric 1st Division/Higher Secondary 2nd Division/Intermediate 2nd Division or its equivalent (For Ex-Servicemen Matric only) (ii) Knowledg: of Hindi upto Matric Standard (iii) English shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at the speed of 20 words per minut. (iv) Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Three years experience as Steno-typist (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (iii) English Shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at the speed of 20 words per minut (iv) Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minut
8	Junior Librarian	<ul style="list-style-type: none"> (i) Graduate of a recognised University or its equivalent (ii) Diploma in Library Science of a recognised University ; or Institution (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Graduate of a recognised University or its equivalent (ii) Diploma in Library Science of a recognised University, or Institution (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard
9	Steno-typist	<ul style="list-style-type: none"> (i) Matric 1st Division/Higher Secondary 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Three years experience as Clerk in Head Office

-108-

1	2	3	4
		2nd Division/Intermediate 2nd Division/Graduate or its equivalent (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (iii) English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute ; or (iv) Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute	(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (iii) Who qualifies test in English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute or (iv) qualifies a test in Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute. Three years experience as Clerk in Head Office.
10	Care-Taker		
11	Clerk	(i) Matric 1st division/Higher Secondary 2nd division/Intermediate 2nd division/Graduate or its equivalent (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (iii) Shall have to qualify the departmental type test in Hindi/English at the speed of 25 or 30 words per minute, respectively within a period	(i) Matric or its equivalent (ii) Five years experience as Group C or Group D employee or combined experience as such (iv) shall have to qualify the departmental type test in Hindi/English at the speed of 25 or 30 words per minute, respectively within a period of one year from the date of appointment

-109-

1	2	3	4
		of one year from the date of appointment, failing which the annual increment shall not be allowed to him. When he qualifies the type test, he will be allowed increment due to him from the date of qualifying the type test but no arrear will be given to him.	failing which the annual increment shall not be allowed to him. When he qualifies the type test he will be allowed increment due to him from the date of qualifying the type test but no arrear will be given to him.
12	Restorer	(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard	(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent (ii) Five years experience as Group D employee (iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard
13	Gestetner Operator	(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard (iii) Knowledge of handling Gestetner Machine	(i) Middle pass (ii) Knowledge of Hindi upto Middle Standard (iii) Five years experience as Group D employee
14	Helper to Leather Designer	(i) Diploma in footwear manufacturing from the recognised institution with one year experience in development industry training of the artisans in the trade; or	(i) Diploma in footwear manufacturing from the recognised institution with one year experience in development industry training of artisans in the trade; or

1	2	3	4
		(ii) Middle with Hindi and Industrial training Institute certificate in leather goods manufacturing with three years experience in leather industry training of artisans in the trade.	(ii) Middle with Hindi and Industrial training Institute certificate in leather goods manufacturing with three years experience in leather industry training of artisans in the trade
(B) SUB-OFFICES			
1	Head Clerk Grade-I	—	(i) Five years experience as Head Clerk Grade II/Accountants (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard
2	Head Clerk Grade-II	—	(i) Three years experience as Clerk/Steno-typist
3	Accountant	—	(i) Three years experience as Clerk/Steno-typist
4	Driver	(i) Middle pass with Hindi ; (ii) Valid driving licence for Heavy Transport Vehicle/Light Transport Vehicle ; (iii) Should have experience of three years driving of Light Transport Vehicle or five years driving of Heavy Transport as the case may be;	(i) Three years experience as Group D employee; (ii) Possesses licence in motor driving (iii) Qualifies the departmental test.

HARYANA GOVT. GAZ. JAN. 9, 1990
 (PAUSA 19, 1911 SAKA)

-11-

1	2	3
5	Steno-Typist	<p>(iv) Ten years experience of driving Heavy Transport Vehicle/Light Transport Vehicle in case of Ex-servicemen;</p> <p>(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard;</p> <p>(iii) Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute; or</p> <p>(iv) English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute.</p> <p>(i) Three years experience as Clerk;</p> <p>(ii) Matric/Higher Secondary or its equivalent;</p> <p>(iii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard;</p> <p>(iv) Who qualifies test in English shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at the speed of 15 words per minute; or</p> <p>(v) Who qualifies the test in Hindi shorthand at the speed of 64 words per minute and transcription thereof at the speed of 11 words per minute.</p> <p>(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard;</p> <p>(i) Matric/Higher Secondary or its equivalent;</p> <p>(ii) Five years experience as Group D employee or combined experience as such;</p>
6	Clerk	

96
HARYANA GOVT GAZ. JAN. 9, 1990
(PAUSA 19, 1911 SAKA)

-112-

1	2	3	4
	7 Leather Supervisor	<p>(ii) shall have to qualify the departmental type test in Hindi/English at the speed of 25 or 30 words per minute, respectively, within a period of one year from the date of appointment, failing which the annual increment shall not be allowed to him. When he qualifies the type test, he will be allowed increments due to him from the date of qualifying the type test but no arrear will be given to him.</p> <p>(i) Diploma in footwear manufacturing from the recognised institution with one year experience in development industry of the artisans in the trade; or</p> <p>(ii) Middle with Hindi and Industrial Training Institute certificate in leather goods manufacturing with three years experience in leather industry training of artisans in the trade.</p>	<p>(iii) Shall have to pass the departmental type test in Hindi/English at the speed of 25 or 30 words per minute, respectively within a period of one year from the date of appointment, failing which the annual increment shall not be allowed to him. When he qualifies the type test he will be allowed increments due to him from the date of qualifying the type test but no arrear will be given to him.</p> <p>(i) Diploma in footwear manufacturing from the recognised institution with one year experience in development industry of the artisans in the trade; or</p> <p>(ii) Middle with Hindi and Industrial Training Institute certificate in leather goods manufacturing with three years experience in leather industry training of artisans in the trade.</p>

-112-

APPENDIX C
[See rule 14(1)]

Serial Number	Designation of the post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Superintendent	Registrar	(1) Minor penalties (i) warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders.	Registrar	Government	—
2	Personal Assistant					
3	Leather Designer					
4	Assistant					
5	Senior Scale Stenographer					
6	Driver					

-114-

1	2	3	4	5	6	7
7	Junior Scale Steno-grapher	} Registrar	to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and			
8	Junior Librarian			(v) withholding of increments of pay.		
			(2) Major penalties			
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction			

7-118-

1	2	3	4	5	6	7
			<p>and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;</p>			
			<p>(vii) reduction to lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;</p>			
			<p>(viii) compulsory retirement ;</p>			

100 HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 9, 1990 (PAUSA 19, 1911 SAKA)

-116-

-117-

1	2	3	4	5	6	7
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			
9	Steno typist	} Additional Registrar (Administration)	Penalties (i) to (x) above	Additional Registrar (Administration)	Registrar	Government
10	Care-Taker					
11	Clerk					
12	Restorer					
13	Gestetner Operator					
14	Helper to Leather Designer					

-118-

1	2	3	4	5	6	7
SUB-OFFICERS						
1	Head Clerk Grade I	} Registrar Penalties (i) to (x) above		Registrar	Government	
2	Head Clerk Grade II					
3	Accountant					
4	Driver					
5	Steno-typist	} Additional Registrar (Administration) Penalties (i) to (x) above		Additional Registrar (Administration)	Registrar	Government
6	Clerk					
7	Leather Supervisor					

4-119-

APPENDIX D
[See Rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
HEAD OFFICE					
1	Deputy Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Registrar	Government	—
2	Personal Assistant				
3	Leather Designer				
4	Assistant				
5	Senior Scale Stenographer				
6	Driver				
7	Junior Scale Stenographer				
8	Junior Librarian				

HARYANA GOVT GAZ., JAN. 9, 1990
(PAUSA 19, 1911 SAKA)

120-

1	2	3	4	5	6
9 Steno-Typist		As in case of (i) and (ii) above		Additional Registrar (Administration)	Registrar Government
10 Care-Taker					
11 Clerk					
12 Restorer					
13 Gestetner Operator					
14 Helper to Leather Designer					
SUB-OFFICES					
1 Head Clerk Grade I		As in case of (i) and (ii) above	Registrar	Government	—
2 Head Clerk Grade II					
3 Accountant					
4 Driver		As in case of (i) and (ii) above	Additional Registrar (Administration)	Registrar	Government
5 Steno-typist					
6 Clerk					
7 Leather Supervisor					

M. K. MIGLANI,
Secretary to Government, Haryana,
Co-operation Department.

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 1989

सं० सा० का०नि० 2/संवि०/अनु० 309/89.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परचुके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा-शर्तों, को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग—I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1989, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं।

(क) "अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन)" से अभिप्राय है, अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) सहकारी समितियां, हरियाणा ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीनस्थ सेवा प्रवरण बोर्ड, हरियाणा" ;

(ग) "तीर्थी" भर्ती से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा-सरकार, ;

(ङ) "मुख्य कार्यालय" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा का कार्यालय ;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई हस्तोत्पत्त ;

(छ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :—

(i) भारत में विधि द्वारा नियमित कोई विश्वविद्यालय ; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या हाका विश्वविद्यालय ; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार सहकारी, समितियां, हरियाणा ;
- (झ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (युप-ग) सेवा ;
- (ञ) "अधीनस्थ कार्यालय" से अभिप्राय है, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, के अधीन सभी कार्यालय ।

भाग—II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में नियमों इन के परिधिष्ट क में बताए गए पद होंगे : परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो जनवरी, 1962 के प्रथम दिन से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जॉर्जिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रबन्ध (ख), (ग), (घ), या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धित नहीं, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित नहीं, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बोर्ड को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिन को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

आयु।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति निम्न प्रकार से की जाएगी :—

नियुक्ति प्राधिकारी।

(क) मुख्य कार्यालय :—

(i) उप-अधीक्षक, निजी सहायक, चर्म अभिकल्पी, सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, चालक, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा कनिष्ठ पुस्तकालयक्ष की दशा में रजिस्ट्रार द्वारा ;

(ii) आशुटकक, केयरटेकर, लिपिक, रैस्टोरर, गैस्टेनर अप्रेटर, चर्म-अभिकल्पी के मददगार की दशा में अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय :—

(i) मुख्य लिपिक (ग्रेड I) मुख्य लिपिक (ग्रेड II) तथा लेखाकार की दशा में रजिस्ट्रार द्वारा

(ii) चालक, आशु-टकक लिपिक और चर्म पर्यवेक्षक की दशा में अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्विकत परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित

जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निर्हताएँ।

8. कोई भी व्यक्ति:—

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का हेंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—

- (क) मुख्य कार्यालय
 - (क) उप-अधीक्षक की दशा में—
 - (i) मुख्य कार्यालय के सहायकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आणुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
 - (ख) निजी सहायक की दशा में:—
 - (i) सेवा में वरिष्ठ वेतनमान आणुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या ;
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।
 - (ग) चर्म अभिकल्पी की दशा में,—
 - (i) चर्म अभिकल्पी के मददगार/चर्म पर्यवेक्षक में से पदोन्नति द्वारा, या
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) सहायक की दशा में,—

- (i) मुख्य कार्यालय के लिपिकों, केयर-टेकर, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों तथा आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

- (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा 67 प्रतिशत ; तथा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा 33 प्रतिशत ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) चालक की दशा में,—

- (i) मुख्यालय के ग्रुप "घ" के कर्मचारियों में से जो ड्राईविंग लाईसेंस रखते हों, पदोन्नति द्वारा, या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा, या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(छ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में—

- (i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा 67 प्रतिशत ; तथा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा 38 प्रतिशत ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ज) कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष की दशा में ; —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(झ) आशुटंकक की दशा में,—

- (i) मुख्य कार्यालय लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत तथा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा 67 प्रतिशत ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ञ) केयर टेकर की दशा में,—

- (i) मुख्य कार्यालय के लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ट) लिपिक की दशा में,—

- (i) रैस्टोरर, गैस्टेटनर अप्रेंटिस, ग्रुप ग के ऐसे कर्मचारियों में से ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर 30 प्रतिशत, जिनका वर्तमान लिपिक तथा ग्रुप घ के कर्मचारियों से कम है ; और
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ठ) रैस्टोरर की दशा में,—

- (i) मुख्य कार्यालय के ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ड) गैस्टेटनर अप्रेंटिस की दशा में,—

- (i) मुख्य कार्यालय के ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ड) चर्म अभिकल्पों के मददगारों की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(क) मुख्य लिपिक ग्रेड-1 की दशा में,—

(उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कार्यालय के लिए)

- (i) मुख्य लिपिकों (ग्रेड-II) तथा लेखाकारों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) मुख्य लिपिक (ग्रेड-II), लेखाकार की दशा में,—

- (i) लिपिकों तथा आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ग) चालक की दशा में,—

- (i) ग्रुप "घ" के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(घ) आशुटंकक की दशा में,—

- (i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत, तथा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा 67 प्रतिशत, या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ङ) लिपिक की दशा में,—

- (i) ग्रुप ग के ऐसे कर्मचारियों जिनका वर्तमान लिपिक तथा ग्रुप घ के कर्मचारियों से कम है में तो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 20 प्रतिशत;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 80 प्रतिशत, या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(च) चर्म पर्यवेक्षक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य-सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है तो रजिस्ट्रार, या अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन) जैसी भी स्थिति हो जैसा ढग निश्चित करेगा जिस द्वारा इसे भारा जायेगा ।

(3) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं देगी ।

परिचीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिचीक्षा पर रहेगा :

परन्तु :-

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति नियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिचीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिचीक्षा अवधि की और गिनने दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिचीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप का कार्य किया है, परिचीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह कि स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हक नहीं होगा ।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या
- (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें।
- (3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी—
- (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो:—
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा में अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या
- (ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो:—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर, प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें, या
- (ii) उसकी परीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो यह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था; परन्तु परीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि थी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. (i) सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी : ज्येष्ठता ।
- परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करने समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित ढंग से निश्चित की जायेगी,—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गये थे, और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान्त ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12: (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य की सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन थी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

- (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण हरियाणा राज्य के भीतर, सरकार के पास है, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हों, अथवा
- (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन
व्यावृत्ति । तथा

20. पंजाब सहकारिता विभाग सेवा (लिपिक वर्गीय) (राज्य सेवा वर्ग-III) नियम, 1966, इसके द्वारा निरसित किया जाता है.---

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायेगी।"।

परिशिष्ट 'क'

[द्वितीय नियम—3]

क्र० सं०	पद नाम	पदों की संख्या		श्रेणी	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी		
1	2	3	4	5	6
(क) मुख्य कार्यालय					
1.	उपाधीक्षक	5	2	7	1640—60—2600—द० रो०—75—2900 रुपए
2.	निजि सहायक	—	1	1	1640—60—2600—द० रो०—75—2900 रुपए
3.	चर्म अभिकल्पी	1	—	1	1600—50—2300—द० रो०—60—2660 रुपए
4.	सहायक	29	8	37	1400—40—1600—50—2300—द० रो०—60—2600 रुपए

HARYANA GOVT GAZ. JAN. 9, 1990
(PAUSA 19, 1911 SAKA)

-133-

1	2	3	4	5	6
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	4	1	5	1400—40—1600—50—2300—द० रो०— 60—2600 रुपए
6.	चालक	1	2	3	1200—30—1560—द० रो०—40—2040 + 200 रुपये विशेष वेतन
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	2	2	4	1200—30—1560—द० रो०—40—2040 रुपए
8.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	—	1	1	1200—30—1560—द० रो०—40—2040 रुपए
9.	आशु-टंकक	6	3	9	950—20—1150—द० रो०—25—1500 + 100 रुपये विशेष वेतन
10.	केयर टैकर	1	—	1	950—20—1150—द० रो०—25—1500 + 50 रु० विशेष वेतन
11.	लिपिक	37	3	40	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए
12.	रैस्टोरर	1	—	1	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए
13.	गेस्टेटर आप्रेंटर	1	—	1	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए
14.	चर्म अभिकल्पी का मददगार	1	—	1	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए

1	2	3	4	5	6
(ख) अधीनस्थ कार्यालय					
1.	मुख्य लिपिक ग्रेड-I	3	2	5	1600—50—2300—द० रो०—60—2660 रुपए
2.	मुख्य लिपिक ग्रेड-II	22	14	36	1400—40—1600—50—2300—द० रो०— 60—2600 रुपए
3.	लेखाकार	17	6	23	1400—40—1600—50—2300—द० रो०—60— 2600 रुपए
4.	चालक	12	—	12	1200—30—1560—द० रो०—40—2040+100 रुपए विशेष वेतन
5.	भातु-टंकक	26	20	46	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए +100 रुपए विशेष वेतन
6.	लिपिक	304	113	417	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए
7.	चर्म पर्यवेक्षक	2	—	2	950—20—1150—द० रो०—25—1500 रुपए

HARYANA GOVT GAZ., JAN. 9, 1960
 (PART 19, 1911 SAKA)

-135-

परिशिष्ट 'ब'

[देखिए नियम 7]

क्रम सं०	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अंग्रेजिया नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
(क)	मुख्य कार्यालय		
1	उपाधीक्षक		(i) सहायक के रूप में आठ वर्षों का अनुभव ; या (ii) वरिष्ठ वेतनमान आशु लिपिक के पद पर आठ वर्षों का अनुभव जिसमें से सहायक के रूप में या सहायक के कार्य में हाथ बंटाने का दो वर्षों का अनुभव हो । (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
2	निजी सहायक		<p>(i) दरिष्ठ वेतनमान आगुलिषिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ।</p>
3	चर्म अभिकल्पी	<p>(i) हिन्दी सहित मैट्रिक, जूता उद्योग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारक तथा चमड़े के जूते/वस्तुएं बनाने का लाईसैंस रखने वाली फैक्टरी में पर्यवेक्षक की हैसियत में पांच वर्ष के अनुभव सहित जूता उद्योग विद्या में उन्नत पाठ्यक्रम; या</p> <p>(ii) हिन्दी सहित मैट्रिक, जूता उद्योग प्रौद्योगिकी का डिप्लोमाधारक, तथा चमड़े के जूते/वस्तुएं बनाने का लाईसैंस रखने वाली फैक्टरी में पर्यवेक्षक की हैसियत में सात वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(iii) हिन्दी सहित मैट्रिक तथा चमड़े के जूतों/की वस्तुएं बनाने का लाईसैंस रखने वाली फैक्टरी में दस वर्ष का अनुभव रखते हुए जूता उद्योग प्रौद्योगिकी में प्रमाण-पत्र ।</p>	<p>(i) चर्म अभिकल्पी के मददगार/चर्म पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) हिन्दी का मैट्रिक स्तर का ज्ञान ।</p>

1	2	3	4
4	सहायक		<p>(i) मुख्य कार्यालय में लिपिक/क्लरक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	<p>(i) मैट्रिक—प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमीडिएट द्वितीय श्रेणी/स्नातक या समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक ।</p> <p>(ii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकन तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।</p> <p>(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।</p> <p>(iv) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>	<p>(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ।</p> <p>(iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकन तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।</p> <p>(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।</p>

1	2	3	4
6	चारक	<p>(i) हिन्दी सहित मिडल पास</p> <p>(ii) भारी परिवहन यान/हल्का परिवहन यान के लिए वैद्य लाइसेंस ।</p> <p>(iii) तीन वर्ष का हल्का परिवहन यान चलाने, पांच वर्ष का भारी परिवहनयान चलाने, जैसी भी स्थिति हो, का अनुभव रखने हो ।</p> <p>(iv) भूतपूर्व सैनिक की दशा में भारी परिवहन यान/हल्का परिवहन यान चलाने का दस वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>(i) मुख्य कार्यालय की ग्रुप 'घ' में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) यान चलाने का लाइसेंस धारक हो ।</p> <p>(iii) विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।</p>
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक ।	<p>(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इंटरमिडिएट द्वितीय श्रेणी या उसके समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल मैट्रिक ।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p>	<p>(i) आशुटंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p> <p>(iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकन तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।</p>

1	2	3	4
8.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष ।	(iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकन तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।	(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।
		(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकन तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ।	
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक या उसके समकक्ष ।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक या उसके समकक्ष ।
		(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष-विज्ञान में डिप्लोमा ।	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष-विज्ञान में डिप्लोमा ।
		(iii) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ।

1	2	3	4
9.	आणुदंकर ।	<p>(i) नैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इंटरमिडिएट द्वितीय श्रेणी/स्नातक या समकक्ष (भूतपूर्व-सैनिकों के लिए केवल नैट्रिक) ।</p> <p>(ii) नैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p> <p>(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आणुदंकर तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रालेखन ।</p>	<p>(i) मुख्य कार्यालय में लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(ii) नैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।</p> <p>(iii) जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आणुदंकर तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रालेखन की परीक्षा पास कर लें ।</p>
10.	केयस्टेकर ।	<p>(iv) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आणुदंकर तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रालेखन ।</p>	<p>(iv) जो 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आणुदंकर तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रालेखन की परीक्षा पास कर ले ।</p> <p>मुख्य कार्यालय में लिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।</p>

1	2	3	4
11.	लिपिक ।	(i) मैट्रिक प्रथम श्रेणी/उच्चतर माध्यमिक द्वितीय श्रेणी/इन्टरमिडिएट द्वितीय श्रेणी/स्नातक या उसके समकक्ष ।	(i) मैट्रिक या उसके समकक्ष ।
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(ii) ग्रुप ग या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में या संयुक्त रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
		(iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टंकण परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उसे वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं दी जाएगी । जब वह टंकण परीक्षा पास कर लेता है तब टंकण परीक्षा पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धियां दे दी जाएंगी किन्तु उसे कोई बकाया नहीं दिया जाएगा ।	(iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25 या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टंकण परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उसे वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी । जब वह टंकण परीक्षा पास कर लेता है तब टंकण परीक्षा पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धियां दे दी जाएंगी किन्तु उसे कोई बकाया नहीं दिया जाएगा ।

2	2	4	4
12	रिस्टोर	(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष (ii) ग्रुप "घ" के कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
13	गैस्टेटर अप्रेटर	(i) मैट्रिक/उच्चतर मिडल या उसके समकक्ष (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) गैस्टेटर मजिन चलाने का ज्ञान	(i) मिडल पास (ii) मिडल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) ग्रुप "घ" के कर्मचारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
14	चर्म अभिकल्पी का मददगार	(i) व्यापार में विकास उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में एक वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त संस्था में जूता बनाने का डिप्लोमा; या (ii) हिन्दी सहित मिडल तथा चर्म उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में 3 वर्ष के अनुभव सहित चमड़े की वस्तुएं बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण-पत्र	(i) व्यापार में विकास उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में एक वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त संस्था में जूता बनाने का डिप्लोमा; या (ii) हिन्दी सहित मिडल तथा चर्म उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में 3 वर्ष के अनुभव सहित चमड़े की वस्तुएं बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण-पत्र

1	2	3	4
	(ख) अधीनस्थ कार्यालय		
1	मुख्य लिपिक (ग्रेड-1)		(i) मुख्य लिपिक ग्रेड-II/लेखाकार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
2	मुख्य लिपिक (ग्रेड-II)		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान
3	लेखाकार		(i) लिपिक/आगू टंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव
4	चालक	(i) हिन्दी सहित मिडल पास	(i) लिपिक/आगू टंकक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव
		(ii) भारी परिवहन यान/हल्का परिवहन यान के लिए वैध चालक लाईसेंस	(i) ग्रुप "घ" के कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष की सेवा
		(iii) तीन वर्ष का हल्का परिवहन यान, पांच वर्ष का भारी परिवहन यान चलाने जैसे भी स्थिति हो, का अनुभव रखते हों	(ii) लाईसेंस धारक हो
		(iv) भूतपूर्व सैनिक की दशा में भारी परिवहन यान/हल्का परिवहन यान चलाने का दस वर्ष का अनुभव	(iii) विभागीय परीक्षा पास कर लेता है

-144-

1	2	3	4
5	आशुटंकक	<p>(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p> <p>(iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकण तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन; या</p> <p>(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकण तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन</p>	<p>(i) लिपिक को रूप में तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>(ii) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष</p> <p>(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p> <p>(iv) जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुटंकण तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन की परीक्षा पास कर लेता है; या</p> <p>(v) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुटंकण तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन</p>
6	लिपिक	<p>(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष</p> <p>(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान</p>	<p>(i) मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष ।</p> <p>(ii) अधीनस्थ कार्यालयों के किन्हीं ऐसे ग्रुप "घ" पदों या ग्रुप "घ" के उन पदों जिनका वेतनमान लिपिक से कम था/है या मिलाकर पांच वर्ष का अनुभव ।</p>

1

2

3

4

लिपिक (iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टंकण परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं दी जाएंगी। जब वह टंकण परीक्षा पास कर लेता है तब टंकण परीक्षा पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धियां दे दी जाएंगी किन्तु उसे बकाया नहीं दिया जाएगा।

7 चर्म पर्यवेक्षक (i) व्यापार में विकास उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में एक वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त संस्था में जुटा बनाने का डिप्लोमा ; या

(ii) हिन्दी सहित मिडल-तथा चर्म उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में तीन वर्ष के अनुभव सहित चमड़े की वस्तुएं बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र।

(iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष भीतर हिन्दी/अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय टंकण परीक्षा पास करनी होगी जिसमें असफल रहने पर वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं दी जाएंगी। जब वह टंकण परीक्षा पास कर लेता है तब टंकण परीक्षा पास करने की तिथि से उसे देय वेतन वृद्धियां दे दी जाएंगी किन्तु उसे बकाया नहीं दिया जाएगा।

(i) व्यापार में विकास उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में एक वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त संस्था में जुटा बनाने का डिप्लोमा ; या

(ii) हिन्दी सहित मिडल तथा चर्म उद्योग प्रशिक्षण की दस्तकारी में तीन वर्ष के अनुभव सहित चमड़े की वस्तुएं बनाने में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट "ग"
[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम सं०	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्त्रियों का स्वरूप	शास्त्रियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
(क)	मुख्य कार्यालय				रजिस्ट्रार	सरकार
1	उपाधीक्षक	रजिस्ट्रार	(1) छोटी शास्त्रियां			
2	निजी सहायक		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चैतवनी;			
3	चर्म अभिकल्पी		(ii) परिनिन्दा;			
4	सहायक		(iii) पदोन्नति रोकना;			
5	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद् या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई घन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वमूली;			
6	चालक					
7	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक					
8	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष					

147-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(v) वेतन वृद्धियां रोकना ;

(2) बड़ी शास्तियां

- (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं/और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;
- (vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;
- (viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

1	2	3	4	5	6	7
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी ;			
			(X) सेवा से पदव्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहता होगी ।			
9.	आशुतंकक	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन)	उपर्युक्त (i) से (X) तक दी गई शास्तियां	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन)	रजिस्ट्रार	सरकार
10.	केयरटेकर					
11.	लिपिक					
12.	रैस्टोरर					
13.	गैस्टेटर अप्रेंटर					
14.	चर्म अभिकल्पी का मददगार					
	(ख) अधीनस्थ कार्यालय					
1.	मुख्य लिपिक (ग्रेड I)	रजिस्ट्रार	} उपर्युक्त (i) से (X) तक की गई शास्तियां ।	रजिस्ट्रार	सरकार	—
2.	मुख्य लिपिक (ग्रेड II)					
3.	लेखाकार					

1	2	3	4	5	6	7
4. चालक	अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन)	उपर्युक्त (i) से (x) तक की गई शास्तियाँ ।		अपर रजिस्ट्रार (प्रशासन)	रजिस्ट्रार	सरकार
5. आशुटेकक						
6. लिपिक						
7. चर्म पर्यवेक्षक						

14

150-
HARYANA GOVT GAZ., JAN. 9, 1990
(PAUSA 19, 1911 SAKA)

परिशिष्ट "ब"

[देखिये नियम 14(2)]

क्रम सं०	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के तबत प्राधिकारी	अपील प्राधि-कारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
(क) मुख्य कार्यालय					
1.	सहाधीक्षक	(i) पैशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैशन की राशि में कमी करता या रोकता।	रजिस्ट्रार	सरकार	
2.	निजी सहायक				
3.	चर्म अभिकर्त्वी				
4.	सहायक				
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
6.	चालक				
7.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(ii) उसके अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा, नियुक्ति की समाप्ति।			
8.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष				

1	2	3	4	5	6
9.	आशुटंकक	जैसा उपर्युक्त	अपर रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	सरकार
10.	केयर टेकर	(i) तथा (ii) की दशा में	(प्रशासन)		
11.	लिपिक				
12.	रैस्टोरर				
13.	गैस्टे-टनर अप्रेटर				
14.	चर्म अभिकल्पी का मददगार				
	(ख) अधीनस्थ कार्यालय				
1.	मुख्य लिपिक (ग्रेड-I)	जैसा उपर्युक्त	रजिस्ट्रार	सरकार	—
2.	मुख्य लिपिक (ग्रेड-II)	(i) तथा (ii) की			
3.	लेखाकार	दशा में			
4.	चालक	जैसा उपर्युक्त (i)	अपर रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	सरकार
5.	आशुटंकक	तथा (ii) की दशा में	(प्रशासन)		
7.	लिपिक				
6.	चर्म पर्यवेक्षक				

एम० के० मिगलानी,
सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
CO-OPERATION DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 58/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group C) Service Rules, 1989, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group C) Service Amendment Rules, 2013.

2. In the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group C) Service Rules, 1989 (hereinafter called the said rules), after Rule 9, the following rules shall be inserted, namely:—

"9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass'

certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):—
 - (i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
 - (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
 - (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, in Appendix B,—

(I) under heading (A) Head Office,—

- I. against serial number 5, under column 3, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2/Graduate or its equivalent
(for Ex-Servicemen 10+2 only);"

- II. against serial number 7, under column 3, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2
(for Ex-Servicemen 10+2 only);”;
- III. against serial number 9, under column 3, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2/Graduate or its equivalent;”;
- IV. against serial number 11,—
(a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2/Graduate or its equivalent;
(ii) knowledge of Hindi upto Matric standard;
(iii) Omitted in view of rule 9A;”;
(b) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2;
(ii) five years experience as Group C or Group D employee or combined experience as such;
(iii) omitted in view of rule 9A.”;
- (II) under heading (B) Sub-offices,—
I. against serial number 5, under column 3, for the item (i), the following item shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2;”;
- II. against serial number 6,—
(a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2;
(ii) knowledge of Hindi upto Matric Standard;
(iii) Omitted in view of rule 9A;”;
(b) under column 4, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
“(i) 10+2;
(ii) Five years experience as Group D employees or combined experience as such;
(iii) Omitted in view of rule 9A.”.

SHAKUNTLA JAKHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Co-operation Department.

O/C

हरियाणा सरकार
सहकारिता विभाग
अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सांका०नि० 58/सवि०/अनु० 309/2013.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1989, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1989, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

9क-(1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य

(#)

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

21/11/14

पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हार्द्वोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

- (4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।
- (5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।
- (6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने में छूट दी जाती है :-
 - (i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैकिनक्स से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
 - (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल. आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
 - (iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.जे) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी);
 - (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हार्द्वोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जायेगा; तथा
 - (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैल्डिसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नैव पो:लुजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनेरटिव डिस्ऑर्डर्स जो हाथ के लकड़ों तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।
तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'ख' में-

- (1) I "(क) मुख्य कार्यालय" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 5 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
 - "(i) 10+2/रनातक या समकक्ष (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2)";

- II क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2(भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 10+2);”;
- III क्रम संख्या 9 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“(i) 10+2/स्नातक या समकक्ष;”;
- IV क्रम संख्या 11 के सामने,-
(क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;
(ii) ग्रुप ग या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव या इसी प्रकार संयुक्त अनुभव,
(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप की गई है।”;
- (II) “(ख) अधीनस्थ कार्यालय” शीर्ष के नीचे,-
I क्रम संख्या 5 के सामने, खाना 3 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;”;
- II क्रम संख्या 6 के सामने,-
(क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;
(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;
(iii) मद नियम 9 क के दृष्टिगत लोप की गई;”;
- (ख) खाना 9 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
“(i) 10+2;
(ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव या इसी प्रकार संयुक्त अनुभव;
(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप की गई।”;

शकुन्तला जाखू,
अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
COOPERATION DEPARTMENT

Notification

The 13th December, 2013

No. G.S.R. 100/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana State Cooperation Department Head Office and Sub-Offices (Group-C) Service Rules, 1989, namely:—

1. These rules may be called the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2013;
2. In the Haryana State Co-operation Department Head Office and Sub-Offices (Group-C) Service Rules, 1989 (hereinafter called the said rules) in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
(b) "Commission" means the "Haryana Staff Selection Commission";
3. In the said rules, for the word "Board" wherein occurring, the word "Commission" shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 5, for the words "thirty years", the words "forty years" shall be substituted.
5. In the said rules, in Appendix B, under column 3 and 4 for the words "Knowledge of Hindi upto Matric standard" wherein occurring, the words "Hindi/ Sanskrit upto Matric standard or Higher education" shall be substituted.

SHAKUNTLA JAKHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Cooperation Department.

हरियाणा सरकार

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

संख्या सा०का० नि० 100/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (मुप.ग) सेवा नियम, 1989 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (मुप.ग) सेवा संशोधन नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा राज्य सहकारिता विभाग मुख्य कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय (मुप.ग) सेवा नियम, 1989, (जिन्हें इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, "हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग";
3. उक्त नियमों में "बोर्ड" शब्द जहां कहीं भी आए के स्थान पर "आयोग" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना 3 तथा 4 के नीचे "दसवीं स्तर तक 'हिन्दी का ज्ञान' शब्द जहां कहीं भी आए के स्थान पर "दसवीं या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

शकुन्तला जाखू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
सहकारिता विभाग।

11(2) 1/2
1(3) 2
1(4) 2
1(2) 2
11(1) 2
2/11/14